न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 41/2018 **दायर दिनांकः 11/04/2018**

उनवान

1. मोहनलाल आयु 60 वर्ष पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी मुकुन्दपुरा (सूण्डा) मजरा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0) **वादीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट.
व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

आदेश दिनाकः 26/02/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 91, 92ए आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मुकुन्दपुरा तहसील अटरू मे पुराने खाता संख्या 21 की ख0नं0 1391 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी कस्तूरी जोजे नारायण के शामलाती खाते मे दर्ज थी। जिसके बाद सेटलमेन्ट नये ख0नं0 1859 रकबा 0.19 है0 बनाये गये हैं। जो वर्तमान में वादी के खाते दर्ज हैं। जिसकी जमाबन्दी खाता संख्या 85 सम्वत् 2071 से 2074 व पुरानी जमाबन्दी, मिलान क्षैत्रफल नया व पुराना नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाके ग्राम एवं माल मुकुन्दपुरा तहसील अटरू में पुराने खाता संख्या 1 की ख0नं0 1390 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा आराजी खाता मिल्कियत सरकार दर्ज थी जिसके बाद सेटलमेन्ट नये ख0नं0 2029 रकबा 1.24 है जो खाता राज सरकार गै.मु. आबादी राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी के खाते दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1 सम्वत् 2071 से 2074 व पुरानी जमाबन्दी, मिलान क्षैत्रफल नया पुराना नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर हैं। पुराने ख0नं0 1391 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के नये ख0नं0 1859 रकबा 0.19 है0 बनाये है जबकि 0.22 है0 बनते है। जो वास्तवीक रकबे से 0.03 है0 कम करके खाते दर्ज किये गये हैं। ईसी प्रकार पुराने ख0नं0 1390 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा के नये ख0नं0 2029 रकबा 1.24 है0 बनाये जबकि 0.69 है0 बनते है जो वास्तवीक रकबे से 0.55 है अधिक करके खाते

दर्ज किये गये हैं। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी के खाते का रकबा पुराने रिकार्ड के अनुसार यथावत हैं। केवल रिकार्ड मे प्रतिवादी के कर्मचारियो द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कम ज्यादा दर्ज किया गया हैं। जिसको वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं। वादी ख0नं0 2029 रकबा 1.24 है0 मे से 0.03 है0 रकबा कम करवाकर ख0नं0 1859 रकबा 0.19 है0 मे बडवाकर 0.22 है0 आराजी खाता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाकर रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता हैं। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत हैं। प्रतिवादी भूमि धारी होने से एवं वाद खातेदारी की घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का होने से उसे प्रतिवादी के रूप मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं जिसको धारा 80 सी.पी.सी. मियादी 2 माह का प्रेषित कर दिया गया हैं। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही वाद धारा 80 (2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कि जा रहा हैं। वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादी के कर्मचारियो द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्वक वादी आराजी कम करने पर तथा अन्तिम बार वादी द्वारा आराजी बढाने हेतु कई बार मौखिक निवेदन करने पर भी वादी के आराजी नही बढाने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ हैं। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील अटरू जिला बारा में स्थित होने की वजह से इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने याग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुनें जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) यह कि वाके ग्राम मुकुन्दपुरा तहसील अटरू में ख0नं0 2029 रकबा 1.24 है0 मे से 0.03 है0 रकबा कम करके ख0नं0 1859 रकबा 0.19 है0 मे बढा कर 0.22 है0 वादी के खाते राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 को अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्य वादी के तहत् PW_1 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड प्रदर्शित किया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम माल मुकन्दपुरा कवाई में खाता संख्या 21 की ख0नं0 1391 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी कस्तूरी जोजे नारायण के शामलाती खाते में दर्ज है। बाद सेटलमेन्ट ख0नं0 1859 रकबा 0.19 है0 बनाकर वादी के खाते दर्ज है। इसी प्रकार माल मुकन्दपुरा कवाई की खाता संख्या 1 की ख0नं0 1390 4 बीघा 5 बिस्वा आराजी सरकार खाता दर्ज थी जिसको बाद सेटलमेन्ट ख0नं0 2029 रकबा 1.24 है0 खाता सरकार दर्ज कर दी। इसी प्रकार वादी के खाते में 0.03 है0 भूमि कम करके प्रतिवादी के खाते में दर्ज करदी इन्द्राज दुरूस्त कर वादी के बाद सेटलमेन्ट ख0नं0 1859 रकबा 0.19 है0 में 0.03 है0 खाता सरकार कम की जाकर रकबा 0.22 है0 आराजी वादी के दर्ज की जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन पर पाया कि वादी के माल मुकन्दपुरा कवाई की खाता संख्या 21 की ख0नं0 1391 का रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा शामलाती खाते दर्ज थी बाद सेटलमेन्ट ख0नं0 1859 रकबा 0.19 है0 बनाये गये है। जो 0.03 है0 कम है। जिसे सेटलमेन्ट के कर्मचारिगण द्वारा खाता सरकार खाता संख्या 1 में दिया सेटलमेन्ट के कर्मचारियान को रकबा कम करने का अधिकार नही है। रिकार्ड से स्पष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है। विवादित आराजी ग्राम मुकन्दपुरा की खाता संख्या 85 ख0नं0 1859 रकबा 0.19 में खाता संख्या 1 ख0नं0 2029 रकबा 1.24 है0 में से 0.03 है0 कम की जाकर खाता संख्या 85 ख0नं0 1859 रकबा 0.19 के स्थान पर रकबा 0.22 है0 दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 41/2018

उनवान

1. मोहनलाल आयु 60 वर्ष पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी मुकुन्दपुरा (सूण्डा) मजरा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट.

व धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मुकन्दपुरा की खाता संख्या 85 ख0नं0 1859 रकबा 0.19 में खाता संख्या 1 ख0नं0 2029 रकबा 1.24 है0 में से 0.03 है0 कम की जाकर खाता संख्या 85 ख0नं0 1859 रकबा 0.19 के स्थान पर रकबा 0.22 है0 दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X................................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 12:53:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: